

बिहार सरकार
कृषि विभाग

!! अधिसूचना !!

अधिसूचना संख्या-01/ए०जी०(प्रो०)-01/2015..... दिनांक-.....वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-4685 वि०(2) दिनांक-25.06.2003 संकल्प सं०-7566 दिनांक-14.07.2010, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-929 दिनांक-30.03.2011 तथा अन्य संगत परिपत्रों के आलोक में बिहार कृषि सेवा कोटि-01 (शष्य) के निम्नांकित पदाधिकारियों को "सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003" के प्रावधानों के अन्तर्गत उनके नाम के सामने अंकित वेतनमान में अंकित तिथि से प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र० सं० | वरीयता क्रमांक (2017/2006/1997) | पदाधिकारी का नाम एवं पद नाम | सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि | प्रथम ए०सी०पी० | अनुमान्यता की तिथि | वेतनमान |
|----------|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 108/119/1041 | श्री ओंकार नाथ सिंह जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) | 19.11.1990 | प्रथम ए०सी०पी० | 19.11.2002 | 10,000-15,200/- |
| 2 | 111/123/1045 | श्री अरविंद कुमार परियोजना निदेशक, आत्मा जहानाबाद | 27.11.1990 | प्रथम ए०सी०पी० | 27.11.2002 | 10,000-15,200/- |

1. ए०सी०पी० योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण प्रदान किये जाने पर पदनाम वर्गीकरण या उच्चतर हैसियत में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. ए०सी०पी० योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण पदाधिकारी विशेष के लिये पूर्णतः व्यक्तिगत होगा और उसकी वरीयता की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वरीय पदाधिकारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण नहीं होगा कि उस वेतनमान में कनीय पदाधिकारी ने ए०सी०पी० योजना के तहत उच्चतर वेतन प्राप्त कर लिया है।
3. प्रथम ए०सी०पी० योजना के तहत वेतन नियतीकरण/निर्धारण संगत अधिसूचना/संकल्प/परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. भविष्य में संबंधित पदाधिकारियों के संवर्ग के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके वेतनमान से संबंधित यदि कोई निर्णय संसूचित किये जाते हैं तो वैसी स्थिति में यह वित्तीय उन्नयन तदनुसार प्रभावित होंगे और वित्तीय उन्नयन को संशोधित किया जा सकेगा।
5. यदि सक्षम प्राधिकार के द्वारा इस उन्नयन के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति उठायी जाएगी तो फलस्वरूप अधिक/कम भुगतान की गयी राशि को तदनु रूप वसूली/सामंजन कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(ललित मोहन श्रीवास्तव)

उप सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-01/ए०जी०(प्रो०)-01/2015

/कृ०, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-01/ए०जी०(प्रो०)-01/2015

/कृ०, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार, पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-01/ए०जी०(प्रो०)-01/2015

/कृ०, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-01/ए०जी०(प्रो०)-01/2015

/कृ०, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कृषि निदेशक, बिहार, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक (प्र०)-सह-अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (प्रभारी स्थापना), कृषि विभाग, बिहार, पटना/अपर निदेशक (शष्य), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/अपर निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/अपर निदेशक (कृषि अभि०), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, पी०पी०एम०/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक, माप-तौल, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (शष्य), पाट, बिहार, पूर्णियाँ/संयुक्त निदेशक (शष्य), शिक्षा, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य), प्रसार, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (कृ०अभि०), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जांच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/सभी उप निदेशक, कृषि विभाग/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं प्रशाखा-2 तथा कार्यवाहक सहायक, कृषि विभाग, बिहार, पटना को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-01/ए०जी०(प्रो०)-01/2015

/कृ०, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-01/ए०जी०(प्रो०)-01/2015

4135

/कृ०, पटना, दिनांक-

6/12/2018

प्रतिलिपि:- उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

NT
06.12.18

उप सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।